राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014

बंदोबस्ती और आरक्षित निधि (एंडोमेंट एवं रिज़र्व फंड) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बंदोबस्ती और आरक्षित निधि (एंडोमेंट एवं रिज़र्व फंड) के लिए सावधि जमा रसीदें (एफडीआर)

1.	किसी संस्थान द्वारा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कितनी बंदोबस्ती और आरक्षित निधि रखी जानी चाहिए?	एनसीटीई विनियम 2014 के अनुसार, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए संस्थान को प्रति कार्यक्रम बंदोबस्ती निधि के रूप में 5 लाख रुपए की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) और आरक्षित निधि के रूप में 7 लाख रुपए की राशि रखनी होती है, भले ही वह कार्यक्रम की इकाइयों की संख्या कितनी भी क्यों न प्रस्तुत कर रहा हो।
2.	एक संस्था को अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की दो इकाइयों के लिए बंदोबस्ती और आरक्षित निधि के रूप में एफडीआर के रूप में कितनी राशि जमा करनी होगी?	किसी संस्था को प्रति कार्यक्रम के लिए क्रमशः बंदोबस्ती और आरक्षित निधि के रूप में 5 (पांच) लाख रुपए और 7 (सात) लाख रुपए की सावधि जमा (एफडी) रखनी होती है, भले ही कार्यक्रम की इकाइयों की संख्या कितनी भी हो।
3.	क्या मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों को संशोधित/बढ़ी हुई बंदोबस्ती और आरक्षित निधि जमा करनी होगी?	मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थान, जिन्होंने पहले से ही प्रति कार्यक्रम क्रमशः बंदोबस्ती और आरक्षित निधि के रूप में 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए रखी है, उन्हें एनसीटीई विनियम, 2014 के अनुसार संशोधित दरों पर इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जिन संस्थानों ने बंदोबस्ती निधि (ईएफ) और आरक्षित निधि (आरएफ) को नहीं बनाए रखा है, उन्हें इन निधियों को संशोधित दरों यानी क्रमशः 5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए प्रति कार्यक्रम के अनुसार बनाए रखना होगा, बशर्ते कि संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा इसकी अनुमति दी गई हो। यदि कोई मौजूदा संस्थान, किसी कार्यक्रम के संबंध में पहले से ही बंदोबस्ती और आरक्षित निधि बनाए हुए है, और कार्यक्रम में अतिरिक्त प्रवेश के लिए आवेदन करता है, तो उसे बंदोबस्ती निधि (ईएफ) और आरक्षित निधि (आरएफ) बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
4.	क्या ऑनलाइन आवेदन करते समय बंदोबस्ती और आरक्षित निधि के लिए एफडीआर जमा करना आवश्यक है?	नहीं, ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय बंदोबस्ती और आरक्षित निधि के लिए एफडीआर की आवश्यकता नहीं है। तथापि, एनसीटीई विनियमन, 2014 के खंड 7(13) के तहत आशय पत्र प्राप्त करने के बाद संस्था प्रति अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम बंदोबस्ती निधि के रूप में 5 लाख रुपए और आरक्षित निधि के रूप में 7 लाख रुपए की एफडीआर बनाए रखेगी।